न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला :– डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारी	–	महावीर सिंह चारण, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	–	01/2022
सी.आई.एस. संख्या	–	01/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	306/2021, पुलिस थाना डीडवाना।
सी.एन.आर. संख्या	–	RJDK020000012022

1. राज्य सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी, डीडवाना।

– अभियोजन

ब ना म

1. छोटी देवी पत्नी शेराराम, उम्र 47 साल, निवासी भवादिया की ढ़ाणी, पुलिस थाना डीडवाना।

– अभियुक्ता

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 504 भादस

उपस्थित –

1. राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी – श्री नरेन्द्र सिंह।
2. अभियुक्ता की ओर से अधिवक्ता – श्री विकास ठोलिया।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 05.05.2026

1. प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के आदेश क्रमांक 08 दिनांक 04.07.2025 की अनुपालना में निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना से अंतरित होकर दिनांक 07.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया मन्जु बुरड़क ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह और उसकी मम्मी खेत में काम कर रही थी। वहां पर छोटी देवी व उसके लडका राजेन्द्र बुरडक

व लड़की अनिता बुरडक ने उसके और उसकी माँ व उसकी बहन सुलोचना के साथ मारपीट की। राजेन्द्र हाथ में कुल्हाडी लेकर आया और उसकी माँ के सिर में मारी। छोटी देवी ने लाठी से कमर मे मारी और अनिता ने भी उसकी माँ को पकडकर गंडासी से पैर पर मारी। उसकी माँ की राजेन्द्र ने लज्ञा भंग की व कपड़े फाड दिये। उसकी बहन बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की..... इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना डीडवाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 306/2021 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया और अनुसंधान के उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता में प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्ता को आरोप अन्तर्गत धारा 341, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता में मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्ता ने उपरोक्त आरोपों को सुन–समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. **उक्त आरोप को प्रमाणित कराए जाने के क्रम में अभियोजन ने साक्ष्य में निम्न गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया –**

क्रमांक	अभियोजन गवाह	गवाह का नाम	विवरण
1	पी.डब्ल्यू. 1	मंजू बुरड़क	परिवादिया/मजरूबा
2	पी.डब्ल्यू. 2	नानीदेवी	मजरूबा
3	पी.डब्ल्यू. 3	जुगलकिशोर	स्वतंत्र/अनुश्रुत गवाह
4	पी.डब्ल्यू. 4	मांगू सिंह उर्फ महेन्द्र पाल सिंह	चश्मदीद/पक्षद्रोही गवाह
5	पी.डब्ल्यू. 5	जस्सु सिंह	पक्षद्रोही गवाह
6	पी.डब्ल्यू. 6	डॉ. गोपाल राम	चिकित्सकीय गवाह
7	पी.डब्ल्यू. 7	सुलोचना	स्वतंत्र गवाह
8	पी.डब्ल्यू. 8	नरेश कुमार	अनुसंधान अधिकारी
9	पी.डब्ल्यू. 9	राजेन्द्र	अनुसंधान अधिकारी

6. अभियोजन की ओर से आरोप प्रमाणित कराए जाने के क्रम में निम्न दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया –

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का विवरण**	**गवाह संख्या जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया**
प्रदर्श पी 1	रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 3, पी.डब्ल्यू. 9
प्रदर्श पी 2	चाक एफआइआर	पी.डब्ल्यू. 1,पी.डब्ल्यू. 3 पी.डब्ल्यू. 9
प्रदर्श पी 3	नक्शा–मौका	पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 3, पी.डब्ल्यू. 9
प्रदर्श पी 4	पीड़िता नानी देवी के धारा 164 सीआरपीसी बयान	पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 9
प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान गवाह मांगू सिंह	पी.डब्ल्यू. 4
प्रदर्श पी 6	पुलिस बयान गवाह जस्सु सिंह	पी.डब्ल्यू. 5
प्रदर्श पी 6	चोट प्रतिवेदन	पी.डब्ल्यू. 6, पी.डब्ल्यू. 9
प्रदर्श पी 7 व प्रदर्श पी 8	एक्स–रे प्लेट	पी.डब्ल्यू. 6, पी.डब्ल्यू. 9

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्ता के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्ता ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं को निर्दोष होना बताया। अभियुक्ता की ओर से बचाव साक्ष्य पेश करना चाहा। साक्ष्य सफाई में गवाह पेश करना नहीं चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

8. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध अपराध प्रमाणित है। अंत में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्ता ने कथन किया कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी पक्ष के साथ कोई मारपीट नहीं की गई, मात्र रंजिशवश अभियुक्ता को फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हितबद्ध गवाहान के कथनों में भी परस्पर भारी विरोधाभास है। अंत में मुलजिमान को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदू बनना पाया जाता है –

1. क्या अभियुक्ता ने दिनांक 09.11.2021 को समय शाम 06 बजे स्थान ग्राम भवादिया डीडवाना में परिवादिया छोटी देवी व उसके परिवारजन को सदोष अवरोध कारित कर, साशय मारपीट कर स्वेच्छा साधारण चोटे कारित की एवं लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया ?

2. यदि हाँ, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

10. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण किया जाए तो अभियोजन की ओर से प्रकरण में कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। **पीडब्ल्यू 01 मंजु बुरड़क** जो प्रकरण की परिवादिया है, ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिनाक 09.11.2021 की समय करीब शाम के छः बजे की बात है। उस समय वह और उसकी मां नानी देवी खेत में काम कर रही थी। तभी उसकी ताई छोटी देवी उसका लड़का राजेन्द्र व उनकी पुत्री अनीता उनके खेत में आऐ और पहले उसकी मां नानीदेवी के साथ में मारपीट की। फिर बीच–बचाव किया तो उन्होने उनके साथ में भी मारपीट की। राजेन्द्र के हाथ में, कुल्हाडी और अनिता के हाथ में गंडासी थी। उसकी मां के बाल पकडकर खीचे थे और राजेन्द्र ने उसकी मां के कपड़े फाड़ दिये और उन्हें गालियां निकाली। फिर उसने और सुलोचना ने भी बचाव कर उसकी मां को छुडवाया। कोई बकरी खेत में घुस गई थी इसी बात को लेकर छोटी देवी, अनिता व राजेन्द्र ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी। उसकी मां के सिर पर, पैर व कमर में चोटे लगी थी। उसने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। उसके साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने उसका मामा जूगलकिशोर भी साथ गया था। उसके मामां को उन्होनें घटना के बारे में पुरा बता दिया था। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि यह सही है की रिपोर्ट में घटना का समय नहीं लिखा है। मारपीट में उन तीनों के ही चोटे आई थी ज्यादा चोटे उसकी मम्मी के आई थी। यह कहना सही है की उसकी और सुलोचना की चोटो का मेडिकल मुआयना नहीं करवाया था, उसकी मम्मी की चोटों का करवाया था। यह बात सही है की घटना से दो तीन दिन पहले

उनका लडाई झगड़ा हुआ था। यह कहना सही है की राजेन्द्र के हाथ में कुल्हाडी व अनिता के हाथ में गडासी होना पुलिस बयान में नहीं लिखी हुई है। यह कहना सही है की थाने में उसने यह लिखकर दिया की उसका मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है।

11. **पीडब्ल्यू 02 नानी देवी** जो प्रकरण की मजरूबा है ने दौराने परीक्षण कथन किया कि करीब दो साल पहले की समय शाम के करीब छः–सात बजे की बात है। वह खेत में तिल झाड़ रही थी। उसी समय उसकी जेठानी छोटीदेवी, उसकी पुत्री अनिता और जेठुता राजेन्द्र उसके खेत में आये और उन्होने उसके साथ मारपीट की थी। उसी समय उसकी लड़कियां मजू और सुलोचना आई तो उन्होने उनके साथ भी मारपीट की। सुलोचना और मंजू दोनों ही घर से आई थी। उसके सिर में व कमर में चोट आई थी। उसके सिर में टाके लगे थे। छोटीदेवी के हाथ में कुल्हाडी थी, राजेन्द्र ने उसके कपडे फाड़ दिये थे। उसके भाई जुगल को फोन किया था तो उसके अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसकी पुत्री मंजू व उसके भाई ने रिपोर्ट करवाई थी। तब पुलिस वाले आये थे। नक्शा मोका प्रदर्श पी–3 बनाया था, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसके मजिस्टेट साहब के सामने बयान हुए जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। बकरी खेत में घुस गई थी इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की थी। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि जब उसके साथ मारपीट कर रहे थे तो उसकी लडकियों मंजू और सुलोचना ने आकर छुडवाया था। वह चोट लगते ही बेहोश नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। यह कहना सही है की कोर्ट में उसके बयान हुऐ थे उसमें उसने वो ही बात बताई थी जो उसकी बेटियों ने बताई थी।

12. **पीडब्ल्यू 03 जुगल किशोर** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि करीब नवम्बर 2021 की बात है। शाम के करीब छः–सात बजे का समय था। उसकी भानजी मंजू ने उसे फोन किया था कि मम्मी के साथ मारपीट कर रहे है। तब वह गाडी लेकर उसकी बहन नानी देवी के खेत में गया था। जहां पर नानीदेवी के चोटे लगी हुई थी, उसके सिर से खून आ रहा था, मंजू और सुलोचना वहां पर थी। उन्होंने बताया की छोटीदेवी, अनिता व राजेन्द्र ने नानीदेवी के साथ मारपीट की थी। तब वह उनको थाने लेकर आया था, जहां पर मजू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाकएफआईआर प्रदर्श पी 02 , नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी बहन नानीदेवी की चोटो का मुआयना करवाया था। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 मंजू ने लिखी थी। यह कहना सही है की उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी।

---

13. **पीडब्ल्यू 07 सुलोचना** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिनांक 09.11.2021 को शाम के करीब छः बजे के आसपास वह, उसकी मम्मी और उसकी बहन मंजू खेत में तिल झाड रहे थे। तभी उसकी ताईजी छोटीदेवी, उसका बेटा राजेन्द्र, बेटी अनिता ने उनके खेत में आकर उसकी मम्मी व उसकी बहन मंजू के साथ में मारपीट की थी। उसकी मम्मी के सिर में व मजू के पैरों, कमर पर चोटे लगी थी। जिस पर वह जब वहां पहुंची तो वो मारपीट करके चले गये थे। दो दिन पहले उनके खेत में हमारी बकरियां घुस गयी थी जिस पर उन्होने उन्हें गालिया निकाली थी। उस समय हुई बोलचाल को लेकर उन्होने उसकी मम्मी व बहन के साथ मारपीट की थी। उसने यह घटना अपनी आखों से देखी थी। भागकर पास में पहुंची तो वो लोग मारपीट करके चले गये थे। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि वह घटना के पांच सात मिनट बाद में घटनास्थल पर पहुंची थी, अजखुद कहा कि वह थोडी दूर थी, दूर से देख रही थी। यह कहना गलत है कि उसने जब देखा तो नानी देवी वगैरह छोटी देवी के साथ मारपीट कर रही हो। उसके पुलिस में थाने में बयान नहीं हुये थे। वक्त घटना घटनास्थल पर ताईजी, उसका लडका राजेन्द्र व उसकी बेटी अनिता मौजूद थी। यह कहना सही है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। घटना के दो दिन पहले खेत में गयी हुई बकरियां घुसने की बात को लेकर विवाद हुआ था।

14. **पीडब्ल्यू 06** चिकित्सकीय साक्षी **डॉ. गोपालराम** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिनाक 09.11.2021 को वह राजकीय बांगड अस्पताल में मेडिकल ज्युरिस्ट के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना डीडवाना के प्रतिवेदन पर आहत नानी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया था। चोट संख्या 1. कुचला हुआ घाव 1 गुणा 3 सेमी जो सिर के साइड में पेराइटल हिस्से में, चोट संख्या 2 निलगु उगुणा 5 सेमी बाए कमर के नीचे के हिस्से पर व एक गुणा एक सेमी निलगु बाए गुटने पर थी। कमर की चोट के अलावा उक्त दोनो चोटे साधारण प्रकृति की थी। कमर की चोट के लिए एक्स-रे राय दी गई थी, जो बाद एक्सरे साधारण प्रकृति की पाई गई। सभी चोटे कुंदाला हथियार से कारित थी। चोट चोटो की अवधि 6 घण्टे की भीतर की थी। प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 7 व 8 है। जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 6 में अंकित चोटे सख्त धरातल पर अलग अलग एंगल से गिरे तो आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

15. **पीडब्ल्यू 09 अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिनांक 09.11.2021 को वह पुलिस थाना डीडवाना में एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एसएचओ नरेन्द्र जाखड के

समक्ष प्रार्थिया मंजू जाखड ने पेश की थी। जिसपर ई से एफ एसएचओ नरेन्द्र जाखड के, ए से बी परिवादिया मंजू के हस्ताक्षर है तथा जी से एच कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। जिसके आधार पर एसएचओ ने चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज की। जिसपर ई से एफ एसएचओ के तथा, ए से बी परिवादिया के हस्ताक्षर है। उसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 प्रार्थिया मंजू की निशानदेही से तैयार किया। जिसपर ई से एफ उसके, सी से डी व एक्स स्थान पर गवाहान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है। ए से बी परिवादिया मंजू के हस्ताक्षर है। उसने गवाहान मांगू सिंह, जस्सू सिंह, मंजू, जूगलकिशोर, नानीदेवी, सुलोचना बुरडक, के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। नानी देवी के धारा 164 सीआरपीसी के बयान न्यायालय से लेखबद्ध करवाकर शामिल पत्रावली किए जो प्रदर्श पी 4 है। उसने मजरूबा नानी देवी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 7 व 8 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। उसने अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्ता छोटी देवी के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ नरेन्द्र जाखड के समक्ष पेश की, जिन्होने न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान में राजेन्द्र बुरडक, अनिता बुरडक द्वारा परिवादिया के साथ मारपीट करना तथा राजेन्द्र के हाथ में कुल्हाडी होना, नही आया। यह कहना सही है कि सभी गवाहान परिवादिया के रिश्तेदार व परिवार के लोग ही है। परिवादी व मुलजिमान के मध्य जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह कहना सही है कि मजरूबा नानी देवी का पति विदेश में रहता है।

16. **पीडब्ल्यू 08 अनुसंधान अधिकारी नरेश कुमार** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिसम्बर 2021 में वह पुलिस थाना डीडवाना में हैड–कॉस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दौरान एफआइआर नम्बर 306/21 के प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। उसके पूर्व इस प्रकरण में राजेन्द्र कुमार हैड–कॉस्टेबल द्वारा अनुसंधान किया गया था। मुलजिम छोटीदेवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उसने छोटी देवी से जमानत मुचलके लेकर शामिल पत्रावली किया था। वास्ते चालान थानाधिकारी नरेन्द्र जाखड को सुपुर्द की थी। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि इस प्रकरण में उसने किसी गवाह के बयान नहीं लिये थे ना ही उसने कोई नक्शा बनाया था।

17. **पीडब्ल्यू 04** मांगू सिंह उर्फ महेन्द्र पाल सिंह ने दौराने परीक्षण कथन किया कि करीब दो साल पहले की बात है। वह अपने खेत पर था। उसने कुछ नहीं देखा।

अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि छोटी देवी व नानी देवी के मारपीट की घटना हुई थी।

18. **पीडब्ल्यू 05** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि आज से करीब दो साल पहले उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस में घटना के दो दिन बाद बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया। यह कहना सही है कि महेन्द्रपाल ने शेराराम को अपना खेत बंट में दे रखा था। यह कहना सही है कि छोटी देवी शेराराम की पत्नी है। उसने दो दिन बाद में सुना था कि छोटी देवी व उसकी देवरानी नानी देवी में गाय की बात को लेकर झगडा हुआ था।

19. उपरोक्त आई साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार है। अभियुक्ता पर अंतर्गत धारा 323, 341 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आक्षेप है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादिया **पीडब्ल्यू 01 मंजू बुरडक** ने दौराने परीक्षण कथन किया कि दिनाक 09.11.2021 को वह व उसकी मां नानी देवी खेत में काम कर रही थी। तभी उसकी ताई छोटी देवी उनके खेत में आई और उसकी मां के साथ मारपीट की व बाल पकडकर खीचे, तब उसने व उसकी बहन सुलोचना ने बीच–बचाव किया। इसी प्रकार मजरूबा पी.डब्ल्यू. 2 नानी देवी ने दौराने परीक्षण कथन किया कि घटना के रोज उसकी जेठानी छोटीदेवी उसके खेत में आई और उसके साथ मारपीट की। तब उसकी लड़की मजू और सुलोचना ने बीच–बचाव किया। मारपीट में उसके सिर व कमर पर चोटें आई। मुलजिमा ने उसके साथ बकरी खेत में घुस जाने की बात को लेकर मारपीट की थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 7 सुलोचना जो परिवादिया की पुत्री है ने भी उक्त गवाहों के कथनों की पुष्टि करते हुए कथन किया कि उसकी ताई छोटीदेवी ने घटना के रोज उसकी माता के साथ मारपीट की। तब उसने व उसकी बहन मंजू ने बीच–बचाव किया। इस प्रकार उक्त तीनो ही गवाहान ने परस्पर पुष्टि करते हुए मुलजिमा द्वारा मजरूबा नानी देवी के साथ मारपीट करना कथन किया है। घटना के चश्मदीद साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू. 4 मांगू सिंह उर्फ महेन्द्र पाल सिंह ने पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का कुछ हद तक समर्थन किया और दौराने जिरह कथन किया कि छोटी देवी व नानी देवी के बीच मारपीट की घटना हुई थी किन्तु अन्य चक्षदर्शी साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू. 5 जस्सु सिंह ने भी पक्षद्रोही घोषित होकर कथन किया कि उसके सामने कोई मारपीट की घटना कारित नहीं हुई। इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 4 मांगू सिंह ने पक्षद्रोही होकर भी परिवादिया के साथ हुई मारपीट की ताईद की है। गवाह

पी.डब्ल्यू. 3 जुगल किशोर ने कथन किया कि उसकी भानजी मंजू ने उसे फोन किया कि नानी देवी के साथ छोटी देवी ने मारपीट की। उसने मारपीट होते नहीं देखी। इस प्रकार उक्त गवाह अनुश्रुत साक्षी है जिसकी साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 6 डॉ. गोपालराम ने कथन किया कि उसने आहत/मजरूबा नानीदेवी के शरीर पर आई चोटो का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 तैयार किया। परिवादिया/मजरूबा के शरीर पर कुन्दाला से साधारण प्रकृति की चोट कारित थीं इस प्रकार उपरोक्त चश्मदीद साक्षीगण, मजरूब व चिकित्सकीय साक्षी की परस्पर पुष्टि से यह साबित होता है कि मजरूबा नानीदेवी के आड़े फिरकर नक्शा–मौका प्रदर्श पी–3 में एक्स स्थान पर मजरूबा नानी देवी के साथ मारपीट की। गवाह पी.डब्ल्यू. 9 राजेन्द्र अनुसंधान अधिकारी ने औपचारिक अनुसंधान करते हुए मुलजिमा के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना और जिरह में कथन किया कि परिवादिया व मुलजिमा के मध्य जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त आई साक्ष्य का आद्योपांत अवलोकन करे तो यह साबित होता है कि मुलजिमा ने परिवादिया नानी देवी के आड़े फिरकर मारपीट की।

20. अभियुक्ता पर धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता का भी आरोप है। परिवादिया द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में यह कथन किया गया कि मुलजिमा द्वारा परिवादिया के साथ गाली गलौच की गई थी। इस संबंध में जहां तक धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है तो इसके संबंध में यद्यपि परिवादिया द्वारा गाली–गलौच करने का कथन किया गया है, परंतु अभियुक्ता ने क्या गालियां दी, इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये गये हैं। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **धीरेन्द्र एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.** APPLICATION U/S 482 No. 18245 of 2018 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि–

> The complainant in his complaint has not stated the nature of abusive language used by the applicants. The allegations in the complaint in this respect are wholly vague in nature. It has not been stated in the complaint that the abusive language used by the applicants was of such nature as would have in ordinary course of events let person insulted to the break the peace or commit an offence under the law. Mere use of abusive language or being discourteous to the opponent or rude would not by itself amount

> to any intention insult within the meaning of Section 504 of the Indian Penal Code. It has to be shown that the nature of abusive language or insult is such as is likely to insult a person or to commit breach of peace or commit an offence. In the facts and circumstances of the case where the complainant has not disclosed the nature of abusive language used by applicants & general and vague allegations with regard to the language has been made in the complaint without specification then it cannot be said that the provisions of Section 504 of the Indian Penal Code is attracted in the facts and circumstances of the case. The court concerned has incorrectly summoned the accused applicants under Section 504 of the Indian Penal Code.

इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्ता द्वारा क्या गालियां दी गई जिससे मजरूबान का प्रकोपन हुआ व उस प्रकोपन के प्रभाव में लोक शांति भंग हुई हो, यह साबित नहीं हुआ है।

21. अभियोजन पक्ष की आई समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आलोक में अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्ता ने दिनांक 09.11.2021 को समय शाम 06 बजे स्थान ग्राम भवादिया डीडवाना में परिवादिया छोटी देवी को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया, लेकिन अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्ता ने दिनांक 09.11.2021 को समय शाम 06 बजे स्थान ग्राम भवादिया डीडवाना में परिवादिया छोटी देवी व उसके परिवारजन को सदोष अवरोध कारित कर, साशय मारपीट कर स्वेच्छा साधारण चोटे कारित की। अतः अभियुक्ता को अपराध अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना एवं अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आ दे श</u>–

22. अतः अभियुक्ता छोटी देवी पत्नी शेराराम, उम्र 47 साल, निवासी भवादिया की ढ़ाणी, पुलिस थाना डीडवाना को अपराध अन्तर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** एवं अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(महावीर सिंह चारण)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना।

– <u>सजा के प्रश्न पर</u> –

23. सजा के प्रश्न पर सुना गया विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्ता के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुये उन्हें परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान् अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए अभियुक्ता को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

24. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है और अभियुक्ता द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– <u>दण्डादेश</u> –

25. अतः अभियुक्ता छोटी देवी पत्नी शेराराम, उम्र 47 साल, निवासी भवादिया की ढ़ाणी, पुलिस थाना डीडवाना को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341 व 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध पाये जाने पर उन्हें **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4** के तहत आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्ता की ओर से 20,000/– रुपये की राशि में एक वर्ष की अवधि हेतु नेकचलनी बाबत एक जमानत व इसी राशि में स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे कि वह उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी एवं परिशांति बनाये रखेगी तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जायेगी, तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही अभियुक्ता पर **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5** के तहत अभियोजन व्यय के रूप में 500/– रुपये (अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) अधिरोपित किये जाते है। साथ ही अभियुक्ता को **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12** का लाभ भी दिया जाता है कि वह उक्त दोषसिद्धि से संलग्न निर्हरता से ग्रसित नहीं होगी।

---

26. अभियुक्ता के अन्वीक्षाकालीन प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्ता द्वारा धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/– रुपये का बंधपत्र व इसी कदर राशि की एक जमानत 6 माह की अवधि के लिए अपील होने की स्थिति में उपस्थिति के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

(महावीर सिंह चारण)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना।

27. निर्णय आज दिनांक **05 मई, 2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महावीर सिंह चारण)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना।